कन्या हेल्प सेल्फ फाउंडेशन पावर्ड बाय GPSSBEF

उद्देश्य. यह एक फाउंडेशन है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है. इसका और इसके कार्यरत कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के लोगों की बेटियों को सहायता प्रदान करना है. यह संस्था उन बालिकाओं के लिए शिक्षा, कौशल कार्य, एवं बीमारी संबंधित समस्याओं और उनके विवाह अनुदान में सहायता प्रदान करती हैं. जिसमें संस्था तथा सरकार का योगदान 40% होता हैं तथा परिवार का योगदान 30% होता है और 30% सहयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के मंत्री, विधायक, तथा उस क्षेत्र के चेयरमेन तथा उद्यमियों से प्राप्त करती है यह केवल उनके निवेश के आधार पर कार्य एवं मदद करती है. जो कि बालिकाओं के लिए असहनीय योगदान के रूप में एक वरदान साबित होती है.

उदाहरण. जब एक गरीब माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने की सोचता है. तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आर्थिक धन की होती है. जिसके कारण वह अपनी बेटियों को आगे बढ़ने से रोक दी जाती है. और दूसरी समस्या उनके विवाह के समय आती है. जब एक पिता इधर उधर से पैसों को कुछ चीज या जमीन रख कर ब्याज पर लाकर अपनी बेटी को शादी के बंधन में बंधता है. उस समय उस पिता के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है. और अपनी बेटी को जो हाल उसके माता पिता का था उसी हाल में धकेल देता है. जिस से दोनों परिवार ही दुःखी रहते हैं. माता पिता भी और उसकी बेटी भी, कारण सिर्फ आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षित ना होना और और आर्थिक स्थिति कमजोर होना. तीसरी समस्या है कुपोषण भोजन व्यवस्था जिसके कारण वो अपने मानसिक एवं शारीरिक रुप से कमजोर हो जाते हैं. तथा फिर उनको बीमारी घेर लेती है. और गंभीर बीमारी हो जाने के कारण वह बिना पैसों के इलाज के अभाव में 40 से 45 साल में अपनी जिंदगी 80 वर्ष की

महिला की तरह गुजार कर मर जाती है. सिर्फ कारण आर्थिक स्थिति खराब के कारण तथा शिक्षा के अभाव के कारण

लेकिन

इन सभी समस्याओं के लिए सभी प्रान्तों में एवं उन प्रान्तों की सरकारों ने स्कूल, हॉस्पिटल, एवं मदद के लिए सहायता नोडल खुलवाए है. जो कि कार्य कर भी रहे हैं. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित होने या जानकारी न होने के कारण या पेट भरने के लिए कार्य में लगे होने कारण जानकारी के अभाव में रह जाते हैं. यदि किसी कारण जानकारी भी हो जाए तो बीच में कार्य करवाने वाले लोग रिश्वत मांगते हैं. और नहीं तो चक्कर कटवाते है. फिर अंत में जाकर गरीब हार कर घर बैठ जाता है. फिर दोष सरकार को देता है. यदि वह परिवार स्वयं एवं अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित करले, एवं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रखे तथा प्रदेश में चल रही योजनाओं का ज्ञान रखे तो सफलता उनके कदमों में होगी.

<u>अपवाद.</u> यदि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी मदद नोडल आदि होते हुए भी लोग प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पताल,एवं NGO, तथा प्राइवेट फाइनेंस किस्त लेना आदि पसंद करते हैं क्यों कि प्राइवेट सेक्टर सही समय पर सही कार्य कर रहे हैं और कोई कारण हो तो इसका जवाब तुम खुद अपने अंतर्मन से जाने तुम खुद समझदार हो.

इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस संस्था का गठन सन 2013 में किया गया था जो कि पूरे भारत में 14 डिपार्टमेंट में अलग अलग कार्य कर रही है जो कि सरकार द्वारा 40% अनुदान प्राप्त करती है

<u>संस्था में जुड़ने के लाभ.</u> यदि कोई परिवार अपनी 0 से 15 वर्ष की बच्चियों को संस्था में रजिस्टर करता है तो उसको निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं.

1. उसकी साधारण बीमार होने पर मदद के लिए अनुदान या संस्था के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है
2. उसके लिए कार्य कौशल के लिए कोर्स तथा ट्रैनिंग और अनुदान प्रदान किया जाता है (अनुदान अलग अलग निपुणता के आधार पर दिया जाएगा) तथा साथ में सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा.
3. 10,12, ग्रेजुएशन, के लिए अनुदान दिया जाएगा
4. प्री प्राइमरी तथा जूनियर कक्षा के लिए 35% अनुदान दिया जाएगा. (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए)
5. यदि बालिका कौशल टैलेंट प्रतियोगिता में सफल होती है तो उसे 100% अनुदान दिया जाएगा. (ये प्रतियोगिता साल में दो बार आयोजित होती है)
6. यदि किसी कारण कोई परिवार किस्त जमा नहीं कर पाता है तो वो अगले महीने में एक साथ जमा कर सकता है अगर दूसरे महीने में भी जमा नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा दिया गया धन ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा
7. यदि आपके द्वारा दिया गया धन आपके एजेंट के द्वारा नहीं जमा होता है तो आप को नोडल अधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो कि संस्था की वेब पोर्टल पर सभी संपर्क सूत्र मिल जाएंगे जो कि संस्था की आधिकारिक वेबसाइट www.Kanyahelp.in उपलब्ध है.
8. हर महीने आपको नोडल अधिकारियों के द्वारा कॉल आएगी जो कि तुम्हारे विवरण के बारे में जानकारी ली जाएगी.
9. अपने ऐजेंट से जमा राशि की रशीद या पर्ची अवश्य लें.

10. शादी के लिए जो अनुदान दिया जाएगा वह विवरण निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है तथा इसमें हर महीना 200 रुपए/ महीना जमा करना होता है.

उम्र	वर्ष/ अवधि	किस्त	टोटल जमा	दिए जाने वाला चेक तीसरे महीने में	21 वर्ष पूरी होने के बाद दिए जाने वाला धन
0 वर्ष	21	200	50400	100000	756000
1 वर्ष	20	200	48000	100000	710000
2 वर्ष	19	200	45600	100000	661200
3 वर्ष	18	200	43200	100000	617760
4 वर्ष	17	200	40800	100000	571200
5 वर्ष	16	250	48000	100000	538720
6 वर्ष	15	250	45000	100000	493000
7 वर्ष	14	250	42000	100000	448720
8 वर्ष	13	250	39000	100000	405880
9 वर्ष	12	300	43200	100000	383240
10 वर्ष	11	300	39600	100000	339160
11 वर्ष	10	300	36000	100000	299200
12 वर्ष	9	300	32400	100000	258720
13 वर्ष	8	350	33600	100000	228760
14 वर्ष	7	350	29400	100000	190920
15 वर्ष	6	350	25200	100000	155000

<u>कुछ व्यावहारिक प्रश्न.</u>

1. यदि किसी बालिका के माता पिता न हो तो उसके लिए सुविधा और रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा.
2. अगर कोई व्यक्ति चार या छह महीने तक किस्त भरता है उसके बाद वो नहीं भरता है तो उसको दिए गए चेक तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि नहीं मिलेगी.
3. प्रत्येक किस्त पर एक महीने की का गैप हो जाता है तो कोई प्लेंटी नहीं लगेगी
4. यदि किसी कारण भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका इलाज एवं खर्चा संस्था करेगी
5. लड़की के साथ माता या पिता या संरक्षण के साथ जुड़वा खाता खोला जाएगा जो कि दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे
6. अगर माता पिता में से कोई भी व्यक्ति जो कन्या के साथ रजिस्टर है वो किसी कारण खत्म हो जाता है तो उसकी जगह पर उस बालिका का कोई भी सदस्य जुड़ सकता है जिस से उस बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पर पैसा निकालने में कोई दिक्कत न हो.
7. अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट या नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं

ऐजेंट के लिए योग्यता एवं उसके कार्य क्षेत्र.

प्रत्येक क्षेत्र में ब्लॉक वाइस ऐजेंट बनाया जाएगा. जो कि निम्नलिखित आरेख द्वारा समझाने की कोशिश की गईं है

ब्लॉक 1.--------- ग्रामीण क्षेत्र

2.--------- कसवा क्षेत्र

1. प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम एजेंट होगा जो अपने ग्राम की गरीब बालिकाओं के लिए लाभ या जानकारी देगा/देगी

2. दस ग्राम के ऊपर एक ग्राम सचिव होगा जो दस ग्रामीण एजेंटो को सपोर्ट तथा लाभ तथा सम्बोधित करेगा.

3. सभी ग्राम सचिवों के ऊपर एक नोडल अधिकारी होगा जिसे ब्लॉक नोडल अधिकारी कहा जाएगा. जिसे सभी ग्रामीण सचिवों को कार्य, विवरण, एवं सहायता, तथा समस्याओं का समाधान, आदि के कार्य होंगे.

नोट (उपरोक्त विवरण के अनुसार ही कसवा क्षेत्रों के लिए मान्य होगी)

योग्यताएं

कर्मचारी	**योग्यता**	**सैलरी**
ग्रामीण एजेंट	**10nth**	**20% +**
ग्रामीण सचिव	**ग्रेजुएट तथा सम्बंधित क्षेत्र में अनुभव**	**10% +**
ब्लॉक नोडल अधिकारी	**ग्रेजुएट तथा संबंधित क्षेत्र में जानकारी का अनुभव तथा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी**	**5% +**

रजिस्ट्रेशन कैसे करें

1. प्रिय आवेदकों आपको सूचित किया जाता है कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर सकते हो. जो कि निम्नलिखित स्टेप से करें
2. पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करें फिर www.Kanyahelp.in डाले फिर पोर्टल खुल जाएगा
3. फिर यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाए जो कि आपके द्वारा दी गई email पर भेज दिया गया होगा.
4. फिर यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करें
5. फिर रजिस्टर फॉर्म भरे
6. फिर अकाउंट का फॉर्म भरे जो कि आपको email पर प्राप्त होगा
7. फिर प्रिंट आउट निकाल ले
8. खाते को चालू रखने के लिए 100 रुपए डालें
9. और पहली किस्त 200 रुपए जमा करें
10. फाइनल प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें
11. आप स्वयं पोर्टल जा कर किश्त जमा कर सकते हैं या एजेंट के द्वारा कर सकते हैं
12. यदि आपको किस्त जमा करने में दिक्कत आ रही है तो एजेंट से संपर्क करे
13. एजेंट पर किस्त जमा करते हो तो उस पर से रशीद अवश्य ले तथा अपने मोबाइल पर देख सकते हो कि किस्त जमा हुई है या नहीं
14. यदि किस्त जमा नहीं होती तो नोडल अधिकारी से संपर्क करे तथा अपने एजेंट का नाम बताए आपका समाधान अवश्य होगा

<u>रजिस्ट्रेशन करते समय कागजात.</u>

1. फोटो माता या पिता का
2. एक फोटो पुत्री का
3. आधार कार्ड माता का या पुत्री का
4. मूलनिवास माता या पिता या पुत्री का
5. ईमेल id
6. हस्ताक्षर माता/पिता/पुत्री
7. बैंक अकाउंट
8. स्वप्रमाणित पत्र
9. जन्म प्रमाण पत्र बालिका यदि नहीं है तो आधार कार्ड पर है वो मान्य होगा
10. मोबाइल नंबर